राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः मलेरिया/एनवीबीडीसीपी/ 2013/५५२ दिनांकः 5/6/13

निविदा सूचना संख्या 4/2013–14

विभाग द्वारा एमपीडब्ल्यू के कार्य हेतु संबंधित सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ से दिनांक 28.06.2013 को प्रातः 11 बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	एमपीडब्ल्यू	36.00 लाख	72000/– रू.	400.00 रूपये

निविदा प्रपत्र दिनांक 27.06.2013 को सांय 4.00 बजे तक कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते है। निर्धारित समय एवं दिनांक के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा संबंधी अन्य शर्तों का विवरण डी.आई.पी.आर. की वेबसाईट "dipronline.org" राजस्थान लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.raj.nic.in तथा विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है एवं वहां से डाउनलोड की जा सकती है।

निदेशक (जन.स्वा.)

स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी)
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

स्टेट प्रोग्राम कमेटी में एमपीडब्ल्यू की सेवायें सेवा प्रदाता एजेन्सी या एनजीओ के माध्यम से लेने हेतु शर्तें।

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द कर प्रस्तुत किये जावें। लिफाफे पर एमपीडब्ल्यू पद पर निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिये तथा लिफाफे के अन्दर दो लिफाफे हो जिससे एक लिफाफे में वित्तीय निविदा प्रपत्र तथा दूसरे लिफाफे में तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ बयाना राशि का ड्राफ्ट एवं आवश्यक प्रमाण पत्र हो। लिफाफों पर "वित्तीय निविदा" तथा "तकनीकी निविदा" अंकित किया जाना चाहिये। निविदा सदस्य सचिव स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी), कमरा नम्बर 329, स्वास्थ्य भवन, जयपुर के पते पर प्रस्तुत की जावे।
2. सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओं को निविदा प्रपत्र में वर्णित अनुसार 2 प्रतिशत धरोहर राशि का जो स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर के नाम जयपुर में ही देय बैंकर चैक/डी.डी. बनाकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जयेगा।
3. एमपीडब्ल्यू पदों पर सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु देय निविदा आमंत्रित है। सेवाओं के क्रम में एजेन्सी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान देय होगा। अन्य किसी प्रकार को सेवा शुल्क देय नहीं होगा।
4. अनुबन्ध का प्रारम्भ 6 माह की अवधि के लिए होगा एवं संतोषप्रद सेवा होने पर कार्यक्रम आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
5. निविदा का सबलेट (SUBLET) नहीं किया जा सकेगा।
6. तकनीकी निविदा प्रस्ताव में सफल निविददाता का ही वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोला जायेगा।
7. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि स्थगित किया जाना हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (सम्बन्धित विभाग व ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जावेगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जावेगी।
8. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशानुसार निविदा उचित रूप से लिखकर मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करके लिफाफे पर एमपीडब्ल्यू पद की सेवा के लिये आवेदन किया है का अंकन कर अपना पूर्ण पता लिखे।
9. सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ द्वारा जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराई जाने वाली मैन पावर जॉब की अवधि समाप्त होते ही कार्य में लगाई गई मैन पावर की अवधि स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
10. सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ द्वारा जॉब बेसिस पर समस्त राजस्थान के जिलों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एमपीडब्ल्यू के कार्य हेतु (100एमपीडब्ल्यू) मैन पॉवर उपलब्ध करवाई जायेगी। जिसको घटाई भी जा सकती है।
11. अनुबन्ध से पूर्व निविदादाता द्वारा सेवाओं के एमपीडब्ल्यू पद हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची योग्यता एवं अनुभव अंकित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी। जिन अभ्यार्थियों पर स्टेट प्रोग्राम कमेटी द्वारा सहमति दी जायेगी उन अभ्यार्थियों की ही सेवाऐं अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
12. निविदा सूचना में जॉब कार्यों की संख्या कम या ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर का होगा।
13. सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ द्वारा अवयस्क व्यक्तियों को जॉब कार्य पर नहीं लगाया जावेगा। जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिये।

14. स्टेट प्रोग्राम कमेटी न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिऐ बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर को होगा।
15. श्रम विधि के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत रखे जाने वाले समस्त रिकार्ड को सुरक्षित संधारित करने की सेवा एजेन्सी/एनजीओ की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
16. एक से अधिक सेवा ऐजेन्सियों/एनजीओ की दरें स्वीकार करने का अधिकार सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर का होगा।
17. सेवा एजेन्सी/एनजीओ के कर्मकार द्वारा विभाग के सामान को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जायेगी अथवा चुराई/नष्ट की जावेगी तो उसकी कीमत एजेन्सी से वसूली जावेगी।
18. सेवा एजेन्सी/एनजीओ को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य, कार्य के घण्टे दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना हर समय तैयार रखनी होगी तथा किसी भी प्राधिकारी के मांगे जाने पर तुरन्त प्रस्तुत करनी होगी तथा श्रम नियमों की पालना का दायित्व एजेन्सी का होगा।
19. सेवा एजेन्सी/एनजीओ अपने कर्मकारों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानानुसार भुगतान के लिये बाध्य होगा। साथ ही समस्त श्रम नियमों की पालना का दायित्व एजेन्सी का होगा।
20. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर श्रमिकों के हितों में किये जाने वाले प्रावधानों की पालना करने का दायित्व सेवा एजेन्सी का होगा।
21. सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ जिनका गत तीन वर्षों का वित्तीय टर्न ओवर 70 लाख या इससे अधिक का हो एवं एक कार्य आदेश में 50 से ज्यादा कार्मिकों की सेवा उपलब्ध कराये जाने का अनुभव होना चाहिए जिसके संबंध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निविदा में संलग्न करने होगें।
22. निविदादाता को धरोहर राशि के रूप में 2 प्रतिशत 72000/- रूपये सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी), जयपुर के नाम जयपुर में देय डिमांड/बैंकर्स चैक जमा कराना अनिवार्य होगा। निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में उक्त राशि निविदादाता को पुनः लौटा दी जायेगा तथा सफल निविदादाताओं की राशि को सुरक्षा राशि 5 प्रतिशत में समायोजित कर दिया जायेगा।
23. सेवा एजेन्सी/एनजीओ द्वारा नियोजित किये गये श्रमिकों द्वारा 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात् किसी श्रमिक को हटाये जाने या कार्यमुक्त करने की स्थिति में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस या नोटिस वेतन तथा छंटनी मुआवजा देने का दायित्व एजेन्सी का होगा।
24. निविदा सील बन्द लिफाफे में दिनांक 26.6.2013 को 11 बजे तक या इससे पूर्व जमा कराई जा सकती है। इसके बाद प्राप्त निविदाओं पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। निविदाएं उसी दिनांक को सक्षम कमेटी द्वारा खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता भाग ले सकते हैं।
25. निविदादाता फर्म को राजस्थान श्रम विभाग से ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970/राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से सेवाकर के लिए पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। विगत दो वर्षों से आयकर विवरणी एवं अंकेक्षित लेखे एवं अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। निविदादाता फर्म के पास आयकर विभाग का TAN/PAN नम्बर होना चाहिए जिसकी प्रति निविदा में संलग्न करनी होगी।
26. अपूर्ण एवं वांछित सूचना के अभाव में निविदाओं को निरस्त/रद्द कर दिया जायेगा।
27. सेवा आपूर्ति संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों की आयु निविदा प्रपत्र में अंकित आयु के अनुसार होनी चाहिये।

28. यदि सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ द्वारा कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है या कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा अनुबन्ध निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सेवा एजेन्सी की प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए अन्य सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ से दर प्राप्त कर उन्हें ठेका दिये जाने का पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर का होगा।

29. भुगतान अकाउन्ट पेय चैक द्वारा किया जावेगा। सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ को किये जाने वाले भुगतान में से स्रोत पर आयकर की कटौती की जावेगी।

30. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे ठेकेदार को मानना होगा।

31. न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता बाध्य नहीं होगा।

32. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर को होगा।

33. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय होगा।

34. सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ एवं लगाये गये कार्मिकों को समस्त कार्य सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर या उसके अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के निरीक्षण में सम्पादित करना होगा।

35. निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों के विपरीत अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर को मान्य नहीं होगी। निविदाओं में दरों के साथ कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

36. किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दण्ड की राशि सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा अमानत राशि में से वसूल करने का अधिकार इस विभाग को होगा।

37. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। निविदा दाता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शाऐंगें की निविदादाता ने सभी शर्तों को पढ़ लिया हैं एवं समझ लिया है अतः निविदादाता को चाहिऐ कि सभी शर्तों को पढ कर समझ ले यदि किसी प्रकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर से मिलकर प्राप्त कर सकते हैं।

38. बयाना (Earnest Money) का समपहरण (Forefiting) निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा।
    1. जब निविदादाता निविदा खोलने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को (मोडिफिकेशन)
    2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।
    3. जब आदेश दिये जाने के पश्चात् नियम समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
    4. जब निर्धारित समय में अनुबंधित कार्मिकों को व्यवस्था करने में विफल रहता है।

39. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 500–के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर स्टेट प्रोग्राम कमेटी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पड़ेगा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबन्धकर्ता को राशि बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी पड़ेगी। यह राशि अनुबन्ध के सन्तोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने पर दो माह बाद वापिस लौटा दी जायेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। धरोहर राशि को इसमें समायोजित कराया जा सकता है।

40. अनुबन्ध पूर्ण किये जाने तथा स्टाम्प पेपर के व्यय का निविदादाता द्वारा भुगतान किया जायेगा और सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर को करार का स्टॉम्प युक्त प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जायेगा।

41. निविदादाता की कार्य क्षमता (Bid Capacity) का आंकलन करने के पश्चात् ही निविदा पर निर्णय लिया जावेगा।

42. जो कार्मिक लगाये जायेंगे उन्हें राजकीय नियमानुसार एवं पद के नियमानुसार समय समय पर कार्यालय आना होगा तथा निर्धारित कार्य पूरा करना होगा तथा निर्धारित समय समाप्ति के बाद ही जाना होगा।

43. समय–समय पर राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा जारी ठेके पर कर्मचारियों के लिए समस्त नियोजन से सम्बन्धित समस्त परिपत्र/दिशा निर्देश लागू होगा।

44. उक्त कार्मिकों की सेवाओं की निर्धारित समय से पूर्व या पश्चात् अथंवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी इसके लिये सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

45. सेवा प्रदान करने वाले कार्मिकों का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर या उसके निर्दिष्ट अधिकारी के निर्देश पर सेवा अपूर्तिकर्ता संस्था को उसके स्थान पर समकक्ष योग्यताधारी एवं अनुभवी अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।

46. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का चाल–चलन अच्छा होना चाहिये एवं उनके कार्य/चरित्र के संबंध में निविदादाता पूर्ण रूप से उत्त्रादयी होगा।

47. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा उपस्थित न होने पर अनियमितता मानी जायेगी।

48. (i) फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्ध कर्ता फर्म द्वारा सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर को लिखित में दी जायेगी किन्तु इन परिस्थितियों में भी विभाग से हुए अनुबन्ध के सम्बन्ध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबन्धकर्ता को विमुक्त नहीं किया जा सकेगा। (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार अथवा भागीदार के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक की वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार के रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वे संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

49. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की सेवाओं का बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा पारिश्रमिक राशि का भुगतान सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था को ही दिया जायेगा।

50. उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को भुगतान का दायित्व सेवा आपूर्तिकर्ता संस्थान का होगा।

51. टी.डी.एस. आयकर/अन्य कर की राशि प्रदाता मासिक बिल में काटकर नियमानुसार जमा करायी जायेगी तथा जिसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र में स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) द्वारा सेवा प्रदाता को दी जायेगी।

52. प्रतिभूति राशि का निम्न परिस्थितियों में समायोजन किया जा सकता है।

1. जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तो को उल्लघंन किया जाता है।

2. जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवायें देने में विफल रहता है।

3. प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जायेगा तथा सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

53. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की व्यवस्था, उनका कार्य व्यवहार चरित्र स्टेट प्रोग्राम कमेटी की अपेक्षा के अनुरूप संतोषजनक न होने की स्थिति में सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी) जयपुर को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध को किसी भी समय समाप्त कर दे।

54. उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

55. कार्मिकों के मासिक भुगतान की राशि उनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर आपूर्तिकर्ता फर्म को मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पादन किये जाने पर चैक से अदा की जायेगी तथा वसूलियों यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जायेगा।

56. आपूर्ति किये गये सभी कार्मिक निविदादाता के पे रोल पर होंगे तथा राज्य सरकार/ स्टेट प्रोग्राम कमेटी में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जिसकी जानकारी निविदादाता को सभी कार्मिकों को देनी होगी।

57. एनवीबीडीसीपी में विभाग में उक्त जोब बेसिस कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रोग्राम में जोब कार्य इन्हीं शर्तों के अनुसार 6 माह या एक वर्ष तक के लिए कार्य करवाया जा सकता है।

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 57 को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत है।

हस्ताक्षर सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ (प्राधिकृत)

पूरा नाम...

पता ....

एमपीडब्ल्यू के अपेक्षित कार्य

1. एमपीडब्ल्यू आवंटित क्षेत्र में पाक्षिक अन्तराल पर घर--घर जाकर फीवर सर्वे का कार्य करेगा तथा समस्त बुखार के रोगियों की रक्त पटि्टका संचित करेगा तथा उन्हें एमएफ2 के साथ पीएचसी पर जांच हेतु प्रेषित करेगा।
2. बुखार के गम्भीर रोगियों को अविलंब पीएचसी/सीएचसी पर भेजे जाने की कार्यवाही करेगा तथा उनकी रक्त पटि्टका बनायेगा।
3. सभी पॉजीटिव पाये गये रोगियों को मलेरिया का पूर्ण उपचार प्रदान करेगा।
4. इण्डोर रिजूडल स्प्रे के 2 दलों के द्वारा किये गये स्प्रे कार्य का सम्पूर्ण निरीक्षण व साथ रह कर स्प्रे कार्य पूर्ण करवायेगा तथा रिकार्ड रखेगा।
5. आईईसी/बीसीसी कार्य अपने क्षेत्र में करवायेगा ताकि बीमारियों की उन्मूलन में जन सहयोग प्राप्त किया जा सके।
6. मलेरिया से संबंधित कार्य जो समय–समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा बताये जावें।
7. कीट विशेषज्ञ के साथ रहकर उनके निर्देशानुसार कीट संग्रहकर्ता का कार्य तथा एंटीलार्वा का कार्य भी करेगा।

कार्यालय स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी),

जोब बेसिस पर कार्य हेतु सेवा प्रदाता ऐजेन्सी/एनजीओ के माध्यम से कार्मिक लगाने हेतु प्रस्ताव

वित्तीय निविदा

1. निविदा शुल्क :– 400/–
2. निविदा विक्रय की तिथि :– 27.06.2013
3. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि :– 28.06.2013 दोपहर 11 बजे
4. निविदा खोलने की तिथि :– 28.06.2013 सायकाल 4.00 बजे
5. निविदा प्रस्तुत करने वाली सेवा प्रदाता एजेन्सी /एनजीओ का नाम :...डाक का पता व ....टेलीफोन नम्बर ....मो.न...
6. किसको सम्बोधित किया – सदस्य सचिव, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी),जयपुर।
7. संदर्भ :– निविदा संख्या .... दिनांक ....
8. जॉब बेसिस पर कार्य सेवाओं का विवरण :–

S. No.	Post/Job Title	Upper limit of Consolidated Salary per month per post	Total Amount for Six month for
1-	MPW (Male) (Total 100 No.)	6000	36,00,000

मै/हम उपरोक्त सेवायें दर रूपये .... (शब्दों में ....) प्रति पद एवं प्रतिमाह पर कार्य करने की सहमति देते है तथा उक्त जोब बेसिस कार्य दक्ष कार्मिको से करवाने एवं निविदा की समस्त शर्तो की पालना सुनिश्चित करने की सहमति प्रदान करते है ।

हस्ताक्षर सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ (प्राधिकृत) मय सील

पूरा नाम :– ....

पूरा पता :– ....

....

कार्यालय स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी)

जोब बेसिस पर कार्य हेतु सेवा प्रदाता ऐजेन्सी/एनजीओ के माध्यम से कार्मिक लगाने हेतु प्रस्ताव

तकनीकी निविदा

1. निविदा शुल्क :– 400/–
2. निविदा विक्रय की तिथि :– 27.06.2013 तक
3. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि :– 28.6.2013, 11:00 AM
4. निविदा खोलने की तिथि :– 28.06.2013, 4 PM
5. निविदा प्रस्तुत करने वाली सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम :..
...............................डाक का पता व ....
...............................टेलीफोन नम्बर ....मो.न...............
6. किसको सम्बोधित किया – सदस्य सचिव (एनवीबीडीसीपी.)
7. संदर्भ :– निविदा संख्या दिनांक
8. पदो का विवरण

s.n	Post	Qualification & Age Limit	Remuneration per Month per post	Remark
1.	MPW(Male)	Higher Secondary and above 18-45 Year	6000/	कार्मीको को देय मानदेय मे से प्रतिमाह नियमानुसार करो के अतिरिक्त अन्य कोई कटौती नही की जावेगी।

9. सेवा प्रदात ऐजेन्सी/एनजीओ का चयन हेतु निम्न तकनिकी मानदण्डो/योग्यता हेतु वांछित निम्न दस्तावेज/प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य करना होगा।

1) सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ के विधान/संविधान की प्रमाणित छाया प्रति।

2) निविदादाता फर्म को राजस्थान श्रम विभाग से ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970/राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के तहत रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से सेवा कर के लिये पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा। विगत तीन वर्षो का आयकर विवरणी एवं अंकेक्षित लेखे एवं अनुभव प्रमाण पत्र कार्यादेश संलग्न करने होंगे इसके अभाव में निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी। निविदादाता फर्म को आयकर विभाग से जारी **TAN/PAN** की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही ई.एस.आई. व पी.एफ पंजीकरण की प्रमाणित पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

3) निविदादाता का गत 3 वर्षो का औसत वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 50लाख रूपये होना चाहिए । इसके प्रमाण हेतु अंकेक्षण रिपोर्ट एवं टर्नओवर की प्रति चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट से प्रमाणित संलग्न की जानी होगी।

पुर्व 3 वर्ष का वितिय टर्नआवर वर्ष 2009–10........................ 2010–11........................2011–12......................

4) सेवा प्रदाता एजेन्सी/एनजीओ जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाओ मे एक ही कार्यादेश मे न्यनतम 50 कार्मीक जोब बैसेस/अनुबंध कार्मीक उपलब्ध करवाने का अधिकतम अनुभव रखते है उनको प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु अनुभव/कार्य प्रमाण पत्रो की सत्यापित प्रतिया संलग्न करनी होगी। निविदादाता का न्यूनतम 3 वर्षो का मलेरिया कार्यक्रम से संबंधित अनुभव हो।

(अ) सेवा प्रदाता एजेन्सी / एनजीओ का कार्य अनुभव ....वर्षा में (प्रमाण–पत्र / कार्य आदेशों की प्रति संलग्न करें)

(ब) सेवा प्रदाता एजेन्सी / एनजीओ का स्वास्थ्य सेवाओ मे कार्य अनुभव .... वर्षा मे

5) बयाना राशि का डी.डी. / बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक ....राशि अगर सेवा प्रदाता एजेन्सी / एनजीओ सम्पूर्ण पदो के प्रस्ताव नही देकर कुछ पदो हेतु ही प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो उसे पदो के सामने अंकित वार्षिक राशि की 2 प्रतिशत की दर से..................... बयाना राशि का डी.डी. / बैंकर्स चैक तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

6) सेवा प्रदाता ऐजेन्सी / एनजीओ को अपने विरूध कही पर ब्लेक लिस्टेट / न्यायिक कार्यवाही यदा फौजदारी केस नही होने की अन्डर टैकीग (शपथपत्र)100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित प्रति देनी होगी।

मैं / हम .... (एजेन्सी / एनजीओ का नाम) सदस्य सचिव स्टेट प्रोग्राम कमेटी (एनवीबीडीसीपी), जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या..................... दिनांक.......................... में वर्णित सभी शर्तो से तथा निविदा प्रपत्र में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। इसके सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।

हस्ताक्षर सेवा प्रदाता एजेन्सी / एनजीओ (प्राधिकृत) मय सील

पूरा नाम :–...

पूरा पता :– ....